

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 10/2024 – निगरानी

- | | |
|--|--|
| 1. मदन धाकड़ पिता बालू बनाम धाकड़ निवासी छोटा थडौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा | 1. जगदीश पिता सुरेश धाकड़ निवासी माताजी की गली, थडौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा |
| | 2. राजेश कुमार पिता बालू लाल धाकड़ निवासी थडौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा |
| | 3. ग्राम पंचायत थडौदा जरिए सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत थडौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा |
| –निगराकार | – गैर निगराकार |

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरुद्ध ग्राम पंचायत थडौदा तह० बिजौलिया द्वारा जारी पट्टा संख्या 2544 संकल्प संख्या 03 दिनांक 20.03.2000

उपस्थित –

1. श्री भोपाल लाल गुर्जर अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री जगदीश चन्द्र दाधीच अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 व 02 की ओर से

निर्णय

दिनांक 08.12.2025

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरुद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि निगराकार के दादा भवानीलाल पिता खेरिंग धाकड़ निवासी थडौदा, तहसील-बिजौलिया जिला-भीलवाड़ा के जमाने की जायदाद भूखण्ड जिसका पट्टा संख्या 46 संवत् 2029 दिनांक 15.01.1972 को जारी किया गया जो फर्जी व कूटरचित नहीं होकर नियमानुसार पत्रावली कायम कर पंचायतीराज अधिनियम के नियमों व शर्तों व प्रकिया की पूर्ण पालना कर जारी किया गया। गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा इसी भूखण्ड का उपरोक्त निगराधीन पट्टा संख्या 2544 संकल्प संख्या 03 दिनांक 20.03.2000 गैरनिगराकार संख्या 03 के कर्मचारियों/अधिकारियों से मिलीभगत कर फर्जी व कूटरचित तैयार करवा लिया तथा व उसी फर्जी व कूटरचित पट्टे के आधार पर बिना किसी अधिकार के उक्त भूखण्ड को गैरनिगराकार संख्या 02 को जरिये पंजीबद्ध विक्रयपत्र दिनांकित 14.08.2020 को विक्रय कर दिया। जो निगरानीधीन पट्टा फर्जी एवं कूटरचित होने से खारिज होने योग्य है। गैर निगराकार संख्या 03 द्वारा आलोच्य पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायतीराज अधिनियम के तहत पट्टा जारी करने के लिए बने नियमों की किसी प्रकार की पालना



Dr. 8.12.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

नहीं की गयी। चूंकि गैर निगराकार संख्या 01 ने उक्त पट्टा फर्जी तौर से तैयार करवाया तथा गैरनिगराकार संख्या 02 कानसिंह को भी यह पूर्ण जानकारी थी कि उक्त जायदाद निगराकार की है एवं उक्त जायदाद पर उपयोग उपभोग भी निगराकार का ही है उसके बावजूद भी गैरनिगराकार संख्या 02 ने उक्त जायदाद का पंजीयन अपने नाम पर करवा लिया, इस कारण उक्त फर्जी पट्टे के आधार पर एवं विक्रयपत्र के आधार पर गैरनिगराकार संख्या 02 को किसी प्रकार के हक व अधिकार हासिल नहीं होते हैं। अतः निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत थडौदा तहसील-बिजौलिया, जिला-भीलवाड़ा द्वारा की गयी संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त फरमाते हुए पट्टा संख्या 2544 दिनांकित 20.03.2000 को निरस्त फरमाया जावे।

प्रस्तुत निगरानी पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि निगराकार के दादा भवानीलाल पिता खेरिंग धाकड़ निवासी थडौदा, तहसील-बिजौलिया जिला-भीलवाड़ा के जमाने की जायदाद भूखण्ड जिसका पट्टा संख्या 46 संवत् 2029 दिनांक 15.01.1972 को जारी किया गया जो फर्जी व कूटरचित नहीं होकर नियमानुसार पत्रावली कायम कर पंचायतीराज अधिनियम के नियमों व शर्तों व प्रकिया की पूर्ण पालना कर जारी किया गया। गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा इसी भूखण्ड का उपरोक्त निगराधीन पट्टा संख्या 2544 संकल्प संख्या 03 दिनांक 20.03.2000 गैरनिगराकार संख्या 03 के कर्मचारियों/अधिकारियों से मिलीभगत कर फर्जी व कूटरचित तैयार करवा लिया तथा व उसी फर्जी व कूटरचित पट्टे के आधार पर बिना किसी अधिकार के उक्त भूखण्ड को गैरनिगराकार संख्या 02 को जरिये पंजीबद्ध विक्रयपत्र दिनांकित 14.08.2020 को विक्रय कर दिया। जो निगरानीधीन पट्टा फर्जी एवं कूटरचित होने से खारिज होने योग्य है। गैर निगराकार संख्या 03 द्वारा आलोच्य पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायतीराज अधिनियम के तहत पट्टा जारी करने के लिए बने नियमों की किसी प्रकार की पालना नहीं की गयी। चूंकि गैर निगराकार संख्या 01 ने उक्त पट्टा फर्जी तौर से तैयार करवाया तथा गैरनिगराकार संख्या 02 कानसिंह को भी यह पूर्ण जानकारी थी कि उक्त जायदाद निगराकार की है एवं उक्त जायदाद पर उपयोग उपभोग भी निगराकार का ही है उसके बावजूद भी गैरनिगराकार संख्या 02 ने उक्त जायदाद का पंजीयन अपने नाम पर करवा लिया, इस कारण उक्त फर्जी पट्टे के आधार पर एवं विक्रयपत्र के आधार पर गैरनिगराकार संख्या 02 को किसी प्रकार के



हक व अधिकार हासिल नहीं होते हैं। अतः निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत थडौदा तहसील-बिजौलिया, जिला-भीलवाड़ा द्वारा की गयी संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त फरमाते हुए पट्टा संख्या 2544 दिनांकित 20.03.2000 को निरस्त फरमाया जावे।

गैर निगराकार संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रश्नगत पट्टा पंजीकृत विक्रयपत्र से दिनांक 14.08.2020 से विक्रयशुदा हैं। विधिक दृष्टान्त 2021(1) डीएनजे (राज.) 186 राजस्थान हाई कोर्ट अनुसार पंजीकृत दस्तावेज की सुनवायी का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त हैं। निवेदन हैं कि उक्त निगरानी प्रकरण की सुनवायी इस न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में नहीं होने से निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि प्रश्नगत पट्टे का पंजीयन दिनांक 14.08.2020 को उपपंजीयक बिजौलिया जिला भीलवाड़ा में किया गया हैं। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने बाबत क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त हैं। अतः उपरोक्त विवेचन निगराकार की निगरानी सारहीन एवं आधारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव—



आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत थडौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08.12.25
(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
भीलवाड़ा